प्रकरण संख्या–01/16 2016/00045 तारीख रजु–12.02.2016

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

1. शिवसिंह आयु 26 साल } पुत्रान पतराम
2. रामपाल आयु 23 साल
3. सुआबाई वेवा पतराम आयु 50 साल
4. रामप्रसाद आयु 45 साल } पुत्रान गुलकन्दी
5. हल्के आयु 40 साल
6. बत्तीलाल आयु 35 साल } पुत्रान विस्पतिया
7. अमृतलाल आयु 30 साल
8. भरतलाल आयु 27 साल
9. नरसी आयु 20 साल
10. रूपवाई वेवा विस्पतिया आयु 60 साल

} सभी जाति जाटव निवासीयान कोंडर तहसील व जिला करौली – प्रार्थीयान

बनाम

1. नारायण पुत्र भूरा आयु 65 साल जाति जाटव निवासी कोंडर तहसील करौली
2. आवंटन अधिकारी करौली जरिये उपखण्ड अधिकारी, करौली
3. भारतीय स्टेट बैंक शाखा करौली जरिये प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा करौली जिला करौली – अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 जिसकी रूह से खसरा नं. 813/2 रकबा 5 बीघा चारागाह भूमि ग्राम कोंडर का आवंटन आदेश दिनांक 07.11.75 को किया गया है, के विरुद्ध

निर्णय

दिनांक–19.06.2019

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीयान ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी करौली द्वारा दिनांक 07.11.75 को अप्रार्थी नं. 1 के हक में खसरा नं. 813 में से 5 बीघा भूमि किस्म चारागाह ग्राम कोंडर का खसरा नं. 813/2 के रूप में आवंटन कर आवंटन पट्टा जारी किया गया है। उक्त आदेश आवंटन, आवंटन अधिकारी करौली विधि विरुद्ध एवं पूर्णतया आरबेट्रेरी है और निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन अधिकारी करौली द्वारा दिनांक 07.11.75 को खसरा नं. 813 रकबा 88 बीघा 1 विस्वा किस्म चारागाह भूमि ग्राम कोंडर तहसील करौली की कोई किस्म परिवर्तन राज्य सरकार या जिला कलक्टर सवाई माधोपुर से परिवर्तित नहीं कराये बिना चारागाह भूमि का अप्रार्थी नं. 1 को 5 बीघा भूमि को विधि प्रावधानों के विपरीत आवंटित किया है। दिनांक 07.11.75 को आवंटन सलाहकार समिति का कोरम पूर्ण नहीं था फिर भी आवंटन अधिकारी ने अप्रार्थी के हक में उक्त आवंटन आदेश नियम विरुद्ध पारित किया है। अप्रार्थी नं. 1 आवंटी का आवंटन दिनांक 07.11.75 से आज दिवस तक कोई कब्जाकाश्त खसरा नं. 813/2 पर नहीं है बल्कि खसरा नं. 813, 854 की भूमि ग्राम कोंडर की मवेशियों को चराने की चारागाह भूमि है जिसकी प्रार्थीयान व अन्य ग्राम वासीयान मवेशियों को चराने के लिए उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। धारा 16 राजस्थान

जिला कलक्टर
करौली

काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत चारागाह भूमि में किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है ना ही ऐसी भूमियों का किसी भी व्यक्ति को आवंटन किया जा सकता है। उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग उपभोग की है। ऐसी स्थिति में भी आवंटन आदेश दिनांक 07.11.75 नियम विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीयान ग्राम कोंडर के स्थायी निवासी हैं और पशुपालन, कृषि कार्य व कृषि मजदूर हैं। प्रार्थीयान की मवेशीयां उक्त चारागाह भूमि में चरती है इसलिए प्रार्थीयान को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक आया है। प्रार्थीयान को उक्त नियम विरुद्ध आवंटन की जानकारी दिनांक 19.01.16 को अप्रार्थी नं. 1 द्वारा प्रार्थीयान की मवेशी को चारागाह भूमि से भगाने एवं भूमि अपने हक में 5 बीघा दिनांक 07.11.75 को आवंटन करा लेने की कहने पर प्रार्थीयान द्वारा पटवारी हल्का से नकल जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 लेने पर उक्त 5 बीघा भूमि खसरा नं. 854/2 चारागाह भूमि अप्रार्थी नं. 1 के नाम खातेदारी में दर्ज होने की जानकारी होने पर दिनांक 22.01.16 को कार्यालय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर में आवंटन आदेश दिनांक 07.11.75 का आवेदन करने पर दिनांक 03.02.16 को नकल आवंटन आदेश व आवेदन पत्र अप्रार्थी नं. 1 प्राप्त होने पर अप्रार्थी के हक में खसरा नं. 813/2 का नियम विरुद्ध आवंटन होने व खसरा नं. 854/2 की विधि विरुद्ध अवैध खातेदारी दर्ज होने की जानकारी हुई है। इससे पूर्व प्रार्थीयान को आवंटन आदेश दिनांक 07.11.75 की जानकारी नहीं रही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान जानकारी दिवस दिनांक 20.01.16 अंदर मियाद प्रस्तुत है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। अंत में प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 07.11.75 को निरस्त कर उक्त भूमि को पुनः चारागाह दर्ज कराये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई।

वकील अप्रार्थी नं. 1 ने जबाव पेश कर निवेदन किया है कि दरख्वास्त कतई गलत तथ्यों के आधार पर विधि विरुद्ध तरीकों से पेश की गई है। इस कारण खारिज होने योग्य है। दरख्वास्त में खसरा नं. 813/2 का आवंटन दिनांक 07.11.1975 को किया गया उसे निरस्त किये जाने बाबत् दादरसी चाही गई है जबकि प्रार्थी को खसरा नं. 854/5 में से रकबा 5 बीघा माननीय उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 30.01.1982 की अनुपालना में दिनांक 22.07.1982 को नामांतकरण संख्या 279 दिनांक 22.07.82 खोला गया था। सायलान को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। सायलान व उनके पिता द्वारा मुझ प्रार्थी को काश्त करने में बाधा उत्पन्न किये जाने पर मुझ प्रार्थी ने उनवानी मुकदमा नारायण बनाम बृहस्पतिया वगै. मुकदमा नं. 149/2000 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली में पेश किया जो दिनांक 05.04.2002 को डिक्री हुआ। डिक्री होने के पश्चात् प्रार्थी ने डिक्री की इजराय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली में पेश की। उक्त इजराय में बृहस्पतिया, रामप्रसाद, शिवसिंह, हल्के, फूलसिंह, वगै. ने ऑर्डर 21 रूल 58 सी.पी.सी. के तहत ऐतराज प्रार्थना पत्र दिनांक 21.11.2002 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली में पेश किया। उक्त ऐतराज माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कियां जा चुका है। इस ऐतराज के मद नं. 6 में मुझ प्रार्थी को जमीन एलोट किये जाने का उल्लेख किया गया है तथा एलोटेड जमीन में नारायण, हरीसिंह, सियाराम के द्वारा कुंआ बनाना व पाटोरपोश घर बनाना स्वीकार किया है तथा मद नं. 2 में खसरा नं. 813, 814, 854 में जाटवों को 1975 में जमीन एलोट करना स्वीकार किया है। मद नं. 11 में उपखण्ड अधिकारी करौली द्वारा मूल एलोटमेंण्ट नम्बर की गलती के आधार पर अदला बदली जमीन की करना बताया है जो उनका

जिला कलक्टर
करौली

स्वीकृत तथ्य है। इस प्रकार इस एलोटमेंण्ट की जानकारी प्रार्थीगण सायलान को शुरू से रही है तथा ऐतराज दिनांक 21.11.2002 यह उनका स्वीकृत तथ्य है। दिनांक 19.01.2016 को आवंटन की जानकारी होना गलत अंकित किया है। इस कारण दरख्वास्त बाबत् एलोटमेण्ट निरस्त किये जाने एलोटमेण्ट मियाद बाहर होने के कारण खारिज होने योग्य है। दरख्वास्त इस आशय से भी डिफेक्टिव है कि दरख्वास्त में आवंटन खसरा नं. 813/2 को निरस्त करने बाबत् दादरसी है जबकि मुझ प्रार्थी का कब्जा खसरा नं. 854/5 पर है जिसका नामान्तकरण उपखण्ड अधिकारी करौली के आदेश से भरा गया था। उसके बाबत् कोई रिलीफ सायलान की नहीं है। दफा 5 की दरख्वास्त में दिनांक 19.01.2016 को मवेशी भगाने व अपने हक में आवंटन करा लेने की कहने पर जो तारीख अंकित की गई है वह कतई झूंठी व काल्पनिक अंकित की गई है। मियाद बाहर अपील को मियाद में लाने के लिए दफा 5 की दरख्वास्त में समस्त तारीखें कतई झूंठी एवं काल्पनिक अंकित की हैं क्योंकि सायलान को उक्त एलोटमेण्ट बाबत समस्त तथ्यों की जानकारी शुरू से रही है तथा ऑर्डर 21 रूल 58 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में यह उनका लिखित स्वीकारोक्ति भी है। इस कारण दरख्वास्त सायलान 14(4) एल.आर. एक्ट व दरख्वास्त दफा 5 मियाद अधिनियम खारिज होने योग्य है। अंत में दरख्वास्त सायलान मय हर्जा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी नं. 2 व 3 की ओर से कोई जबाव पेश नहीं किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थीयान ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया है कि आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी करौली द्वारा दिनांक 07.11.75 को अप्रार्थी नं. 1 के हक में खसरा नं. 813 में से रकबा 5 बीघा भूमि किस्म चारागाह(गोचर) ग्राम कोंडर का खसरा नं. 813/2 के रूप में आवंटन कर आवंटन पट्टा जारी किया गया है जो विधि विरूद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है। समर्थन में प्रार्थी द्वारा धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की फोटो प्रति पेज नं. 24 प्रस्तुत की है जिसमें धारा 16 के खण्ड (1) में गोचर भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते और गोचर/चारागाह भूमि का नियमन व आवंटन नहीं किया जा सकता है। यह व्यवस्था व सिद्धान्त माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर ने आर.आर.डी. 1982 पेज 70 में बाबू बनाम स्टेट ऑफ राज. की अपील संख्या 11/भरतपुर में दिनांक 06.08.81 को पारित किया है जिसमें यह निर्णय दिया गया है कि चारागाह/गोचर भूमि का आवंटन व नियमन नहीं किया जा सकता है। आवंटन अधिकारी करौली द्वारा दिनांक 07.11.75 को खसरा नं. 813 रकबा 88 बीघा 01 विस्वा किस्म चारागाह भूमि ग्राम कोंडर का कोई किस्म परिवर्तन राज्य सरकार या जिला कलक्टर सवाई माधोपुर से कराये बिना आवंटन किया है। यह चारागाह भूमि है जो सार्वजनिक उपयोग एवं मवेशियों के चराव के उपयोग के लिए है। दिनांक 07.11.75 को आवंटन सलाहकार समिति का कोरम पूरा नहीं था फिर भी आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन कर दिया गया। समर्थन में आवंटन रूल्स 1970 की धारा—2 के अनुसार तीन सदस्य मीटिंग में होना आवश्यक है। आवंटन सलाहकार समिति का एस.डी.ओ. सदस्य नहीं होता है। उक्त आवंटन के समय मात्र दो सदस्य विकास अधिकारी करौली व तहसीलदार करौली ही मौजूद रहे हैं अन्य कोई जनप्रतिनिधि जो सरपंच, प्रधान, विधायक व मनोनीत सदस्य उपस्थित नहीं थे। कोरम अपूर्ण होने के बाद भी आवंटन किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। इस संबंध में आर.आर.डी. 1993 पेज 652 में माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर ने यही मत व्यक्त किया है। उपखण्ड अधिकारी करौली को आवंटन दिनांक 07.11.75 को बदलने/परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। समर्थन में आर.आर.

डी. 1988 पेज 431 में माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर ने मांगीलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के निर्णय दिनांक 03.06.1988 में यही मत व्यक्त किया गया है कि आवंटन आदेश को 6 वर्ष बाद में चेन्ज करने का अधिकार बिना आवंटन सलाहकार समिति के नहीं है और ऐसा एलोटमेण्ट निरस्त किया गया है। नियम विरुद्ध एवं विधि विरुद्ध तथा धोखेपूर्ण आवंटन को धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत न्यायालय श्रीमान् को स्वप्रेरणा से या किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर निरस्त करने का अधिकार है। समर्थन में 14(4) आवंटन नियम 1970 की फोटो प्रति संलग्न है। नियम विरुद्ध एवं विधि विरुद्ध निर्णय व आदेश को कभी भी निरस्त कराने के लिए चुनौती दी जा सकती है। समर्थन में आर.आर.टी. 2002(1) पेज 648 में माननीय उच्च न्यायालय राज. ने निर्णय दिनांक 24.11.2001 में यह मत व्यक्त किया है कि सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए यदि मैरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए। अंत में दिनांक 07.11.75 को किये गये आवंटन को निरस्त कर भूमि को पुनः चारागाह दर्ज करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी नं. 1 ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र कतई गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जिसे पेश करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है क्योंकि आवंटन हुए करीब 35 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है एवं अप्रार्थी नारायण विगत 42 वर्षो से खसरा नं. 854/5 रकबा 5 बीघा बाके ग्राम कोंडर पर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है और वर्तमान में उक्त आवंटित भूमि खसरा नं. 854/5 का खातेदार है। प्रार्थीगण को इस आवंटन से न तो कोई क्षति हुई है और न ही वह पीड़ित पक्ष है। वर्ष 1975 में राजस्व अभियान के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा भूमिहीन कृषकों के लिए भूमि आवंटित की गई थी जिसे तत्कालीन भू आवंटन अधिकारी द्वारा ग्राम कोंडर में भूमि रूपांतरित कर नियमानुसार करीब 35 से 40 व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई थी जिसमें अप्रार्थी को खसरा नं. 813 में से भूमि दी गई थी एवं प्रार्थी अनपढ़ एवं कृषक है जिसे मौके पर जो कब्जा दिया गया वह भूमि खसरा नं. 813 का हिस्सा ना होकर खसरा नंबर 854 का था। आवंटन एवं मौके पर कब्जे के खसरा नंबरों में अंतर होने के कारण वर्ष 1982 में इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही भू–आवंटन अधिकारी एस.डी.ओ. करौली के समक्ष पेश की गई जिन्होंने दिनांक 30.01.1982 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट तलब कर व खसरा परिवर्तनशील, खसरा चौसाला व ट्रेस की नकलों के अवलोकन के पश्चात् यह पाया कि खसरा नं. 813/2 में मुन्ना पुत्र करकेंटा का कब्जा है जबकि उक्त नंबर अप्रार्थी नारायण को आवंटित हुआ एवं नारायण का कब्जा 854/5 में है जिसमें उसके द्वारा शामलाती चाह का निर्माण भी कराया गया। अप्रार्थी के बयान, पटवारी रिपोर्ट व बयान एवं गवाहों के बयानों के आधार पर नारायण को 854/5 पर कब्जा दिया जाना साबित पाकर खसरा नं. 854/5 रकबा 5 बीघा हल्का कोंडर का नामांतकरण नारायण जाटव निवासी कोंडर के हक में तस्दीक करने का आदेश दिया और इसी प्रकार शीट में तरमीम करायी गयी जिसके पश्चात् खसरा नं. 854/5 का अप्रार्थी नारायण गैरखातेदार घोषित हुआ और वर्तमान में वह खातेदार की हैसियत में है। प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र खसरा नं. 813/2 के आवंटन आदेश बाबत् है जबकि उक्त संशोधन दिनांक 30.01.1982 भू–आवंटन अधिकारी एस.डी.ओ. करौली के आदेश से प्रार्थी को भूमि 854/5 आवंटित हुई। इस प्रकार खसरा नं. 854/5 को निरस्त कराने बाबत् प्रार्थी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। वर्ष 1975 में राजस्व अभियान के तहत ग्राम कोंडर में भूमि आवंटन अधिकारी व सलाहकार समिति की अभिशंषा से चारागाह भूमि

जिला कलक्टर
करौली

पर किस्म परिवर्तन कर भूमिहीन कृषकों को भूमि आवंटित की गई जिसमें किसी की राजस्व कर्मचारी के कोई लापरवाही अथवा गैरकानूनी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। वर्ष 1975 में हुए आवंटन के पश्चात् वर्ष 1982 में हुए इन्द्राज दुरुस्ती की कार्यवाही भी भू आवंटन अधिकारी द्वारा नियमानुसार की गई। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा क्या गफलत की गई उसे साबित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रार्थीगण की ओर से पेश नहीं किया गया है। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर की नजीर विधिक प्रतिनिधि खाटू वगै. बनाम पून्या वगै. आर.आर.डी. 2016 पेज 587 स्पष्ट है जिसमें पेज संख्या 592–593 में यह निर्णय पारित किया गया था कि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक हुई या नहीं, इस तथ्य की जानकारी न्यायालय मूल आवंटन पत्रावली एवं आवंटन कार्यवाही रजिस्टर तलब करके उनका परीक्षण करने के पश्चात् निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं होने से आवंटन नियम विरुद्ध नहीं माना जा सकता क्योंकि सदस्यों के हस्ताक्षर केवल मीटिंग कार्यवाही विवरण रजिस्टर में होना प्रावधित है। प्रार्थीयान को अप्रार्थी के हक में हुए आवंटन की जानकारी शुरू से ही है। इस बाबत् न्यायालय एस.डी.ओ. करौली में उनवानी नारायण बनाम बृहस्पतिया वगै. मुकदमा नं. 149/2000 पेश होकर डिक्री पश्चात् अप्रार्थी नारायण की ओर से इजराय पेश की गई थी जिसमें बृहस्पतिया, रामप्रसाद, शिवसिंह, हल्के एवं फूलसिंह वगै. ने आदेश 21 नियम 58 सी.पी.सी. के तहत ऐतराज प्रार्थना पत्र पेश किया था जो दिनांक 06.08.2007 को न्यायालय एस.डी.ओ. करौली द्वारा खारिज फरमा दिया गया। इस ऐतराज प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी के हक में होना, उक्त भूमि में शामलाती कुंआ बनाना व पाटोरपोश घर बनाना स्वयं शिवसिंह वगै. ने स्वीकार किया है। 1982 में इन्द्राज दुरुस्ती का भी स्वीकृत तथ्य है। प्रार्थी को आवंटन व इन्द्राज दुरुस्ती शुरू से होने के बाद भी अब 40 वर्षों से अधिक समय बाद मियाद अधिनियम का फायदा उठाकर यह प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया है। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर की नजीर उनवानी सवाराम वगै. बनाम धुलाराम वगै. आर.आर.डी. 2016 पेज 163 में यह अभिनिर्धारित किया कि उपखण्ड अधिकारी ने विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर आवंटन किया। नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त करने का प्रार्थना पत्र 11 वर्ष बाद पेश किया जो उसकी बदनीयती दर्शाता है। उक्त नजीर में ही पेज संख्या 168 पर यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि केवल मात्र आवंटित भूमि पर आवंटी द्वारा निरंतर काश्त नहीं कर पाने के आधार कारण पर विगत अनेक वर्ष पूर्व किया आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। इस संबंध में राज्य सरकार की अधिसूचना भी दिनांक 28.12.2001 को राजपत्र में प्रकाशित हुई जो उक्त नजीर के पेज संख्या 168 में अंकित है। प्रार्थीगण का मुख्य पेशा कृषि होने एवं उनके पास मवेशियां होने का कोई सबूत प्रार्थीगण की ओर से पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी को आवंटित में से कुछ भूमि में वर्तमान में नेशनल हाईवे गुजरने के कारण नेशनल हाइवे द्वारा अवाप्त की गई एवं मुआवजा तय किया गया। उक्त मुआवजा राशि अप्रार्थी को ना मिले, इस कारण अप्रार्थी को परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अप्रार्थी नं. 1 को आवंटन कमिटी द्वारा राजस्व अभियान के अंतर्गत दिनांक 07.11.1975 को खसरा नं. 813 रकबा 88 बीघा 1 विस्वा में से 5 बीघा भूमि नवीन खसरा नं. 813/2) का आवंटन किया गया। तत्पश्चात् आवंटी को खसरा नं. 854/5 पर राजस्व कर्मियों द्वारा कब्जा संभलाया गया। आवंटन कमेटी के कोरम पूरा नहीं होने की आपत्ति के क्रम में आर.आर.डी.

जिला कलक्टर
करौली

2016 पेज 587–593 Appeal No. 4349/Banswara of 2004, decided on 05th July, 2016 उनवानी L.Rs. Khatu & ors. V/s Puniya & ors. में माननीय न्यायालय का मत है कि आवंटन सलाहकार समिति के हस्ताक्षर केवल मीटिंग कार्यवाही विवरण रजिस्टर में होना प्रावधित है। जहां तक उपखण्ड अधिकारी करौली के आदेश दिनांक 30.01.1982 का प्रश्न है, उस आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। साथ ही प्रार्थीगण को इस आवंटन की जानकारी शुरूआत से ही रही है यह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली में दायर मुकदमा संख्या 149/2000 में पारित निर्णय उपरांत हुई डिक्री का आदेश 21 नियम 58 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थीगण द्वारा पेश किये गये ऐतराज एवं उक्त ऐतराज में किये गये आवंटन स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है। अतः प्रार्थना पत्र निगरानी प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी नं. 1 को परेशान करने की नीयत से पेश किया गया प्रतीत होता है। हम वकील अप्रार्थी नं. 1 के कथनों से सहमत हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र निगरानी को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र निगरानी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली

जिला कलक्टर